निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 अग्रहायण 1944 (श0)

(सं0 पटना 1080) पटना, वृहस्पतिवार, 15 दिसम्बर, 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2022

एस० ओ० **487,** .दिनांक 15 दिसम्बर, 2022—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम – 12, 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफ़ारिशों पर, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2022 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 15 नवम्बर, 2022 से प्रभावी हुये माने जायेंगे ।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017, (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियमावली कहा गया है) में, **प्ररूप जीएसटीआर-9** में, शीर्षक अनुदेश के अधीन, पैरा 7 में, -

(क) शब्दों, अक्षरों और अंको “अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में” के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको “अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में 30 नवंबर 2022 तक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) सारणी में, दूसरे स्तंभ में, -

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंको “अप्रैल, 2022 सितंबर, 2022 के **प्ररुप जीएसटीआर-1**” के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको “अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के, 30 नवंबर, 2022 तक फ़ाइल किए गए **प्ररुप जीएसटीआर-1**” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) क्रम संख्या 12 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंको “अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए” के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको “अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने , शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 14) 3425)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

15 दिसम्बर, 2022

एस० ओ० 487, दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 14) 3425)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 15th December, 2022

S.O. 487, Date 15th December, 2022-- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 15th day of November, 2022.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in **FORM GSTR-9**, under the heading Instructions, in paragraph 7, -

(A) for the figures, letters and words "between April, 2022 to September, 2022", the figures, letters and words "of April, 2022 to October, 2022 filed upto 30th November, 2022" shall be substituted;

(B) in the Table, in second column, -

(I) against serial numbers 10 & 11, for the figures and words "April, 2022 to September, 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 filed upto 30th November, 2022" shall be substituted;

(II) against serial number 12, for the figures and words "April 2022 to September 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 upto 30th November, 2022" shall be substituted;

(III) against serial number 13, for the figures and words "April 2022 to September 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 upto 30th November, 2022" shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 3425)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1080-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in